फर्द अहकाम

वि...

...ालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

देवनारायण **बनाम** श्याम गुप्ता वगै०

...मा संख्या / वर्ष : 129 / 2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.04.22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार जमवारामगढ़ से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस दिनांक 15.04.2022 को सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि तहसीलदार जमवारामगढ़ से जो कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसी के अनुरूप वाद में प्राथमिक डिक्री की जावे। वकील प्रतिवादी का कथन है कि मेरे पक्षकार के शेयर को कोई निर्देश नहीं है प्रकरण में जो इन्द्राजात किया।	
	उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से पारित की जाती है.	
(1)	देवनारायण पुत्र कल्याण जाति गुर्जर सा० देह को ख०न० 534/532 रकबा 1.20 हैक्टेयर किस्म चाही 2 लगान 27.60 रुपये कायम किया जाता है	
2-	श्याम गुप्ता पुत्र हरिवल्लभ गुप्ता जाति महाजन सा० म०न० 96 मस्जिद की गली पुरानी विधान सभा के सामने जयपुर को ख०न० 535/532 रकबा 0.51 किस्म चाही 2 लगान 11.73 रुपये कायम किया जाता है	
	उपरोक्तानुसार वाद में अंतिम डिक्री पारित की जाती है। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। डिक्री जारी हो।	
	(हस्ताक्षर)	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली फैसल मुकदमा होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

डिकी मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 22 नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

ब अलजास ....विश्वामित्र मीना आर0ऐ0एस0..............................

नारायण पुत्र कल्याण जाति गुर्जर नि0 डाबली तहसील जमवारामगढ़ .... **बनाम** 1- श्याम गुप्ता पुत्र हरिवल्लभ जाति महाजन नि0 म0नं0 96 मरदों की गली पुराणी विधान सभा के सामने जयपुर व 2 अन्य

राजस्व मुकदमा नं0.....129../ 2020.........

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू मुझ विश्वामित्र मीना आर0ऐ0एस0 व हाजरी.........वादी.....मिनजामिन मुद्दई रूबरू.......प्रतिवादीगण के विरूद्ध......मिन जामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिकी ढिगरी दी जाती है कि...... प्राप्त कुर्रा रिपोर्ट के आधार पर वाद में अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार से पारित की जाती है:-
- रेवनारायण पुत्र कल्याण जाति गुर्जर सा0 देह को ख0नं0 534/532 रकबा 1.20 हे0 किस्म चाही 2 लगान 27.60 रुपये कायम किया जाता है
2- श्याम गुप्ता पुत्र हरि वल्लभ गुप्ता जाति महाजन सा0 म0नं0 96 मरदों की गली पुराणी विधान के सामने जयपुर को ख0नं0 535/532 रकबा 0.51 किस्म चाही 2 लगान 11.73 रुपये कायम किया जाता है

निजी...............................मवलिक...बाबत..............................
खर्चा इस मुकददमे का मय सूद वगेरह..फीसदी सालाना
आज की तारीख वसूलियत तक ....को अदा करें।
वसूलियाव तक ....को अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22/04/2021 को जारी किया गया।

दस्तखत.......................................
ओहदा...

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सूबत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		

दस्तखत.......................................
ओहदा...

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़